न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 62–पांच/96 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–8–96 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 64/91–92/निगरानी.

1– केदार सिंह
2– केशवसिंह
3 महेश सिंह पुत्रगण ब्रदीप्रसाद
निवासी ग्राम विलगांव चौधरी
परगना जौरा जिला मुरैना ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– गजाधर प्रसाद पुत्र रामचन्द्र
2– मातादीन पुत्र गजाधर प्रसाद
3– रमेश चन्द्र पुत्र गजाधर प्रसाद
निवासीगण ग्राम विलगांव चौधरी
परगना जौरा जिला मुरैना ..... अनावेदकगण

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री एस.के. वाजपेई, अनावेदक कमांक 2.

आदेश

(आज दिनांक 2–9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 64/91–92/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–8–96 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19–12–88 के विरूद्ध कलेक्टर न्यायालय में निगरानी 25.4.89 को प्रस्तुत की गई जिसे कलेक्टर ने अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 9–12–88 को उभयपक्ष की बहस श्रवण की गई और दिनांक 19–12–88 को आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश दिनांक 19–12–88 को ही उभयपक्ष के अविक्ताओं द्वारा नोट किया गया । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने मुंशी की लापरवाही दर्शाने मात्र से निगरानी को समयावधि में न मानने का जो निष्कर्ष निकाला है वह उचित है क्योंकि मुंशी जगदीश का कोई शपथपत्र भी प्रकरण में पेश नहीं किया । विलंब के संबंध में दिन प्रति दिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्याालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर